न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर ,जालोर

पीठासीन अधिकारी संजयकुमार ,
आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण सं. 1/2016

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण:–
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रानीवाडा		1.श्री हंसराज पुत्र कालूजी(फौत) के कायम मुकाम:– 1/1.दिनेशकुमार पुत्र हंसराम 1/2.श्रीमति लीलादेवी पत्नि हंसराज 2.श्री चूनाराम पुत्र कालूजी, जातियान् जागिड ब्राह्मण, निवासीगण बडगांव,तहसील रानीवाडा, जिला जालोर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति:–
1.श्री छोटूसिंह, विद्वान सरकारी अभिभाषक ,प्रार्थी की ओर से।
2.श्री त्रिलोकचंद मेहता ,विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण की ओर से।

आदेश

दिनांक 11.9.2018

1. यह प्रकरण श्रीमान् जिला कलेक्टर जालोर के न्यायालय से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ। प्रार्थी तहसीलदार रानीवाडा ने यह रेफरेन्स प्रार्थनापत्र सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया हैं जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा बडगांव के पुराने खसरा नम्बर 622 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा,किस्म गैर मुमकिन ओरण राजस्व रैकर्ड में दर्ज थी जिसके बने नवीन खसरा नम्बर में से एक खसरा नम्बर 790 है, उक्त खसरा नम्बर 790 रकबा 0.08 हेक्टर की भूमि गैर मुमकिन मकान दर्ज कर खातेदार अप्रार्थीगण हंसराज,चूनाराम पुत्र कालूजी, जाति जागिड ब्राह्मण,साकिन बडगांव दर्ज कर दिया। पुराने खसरा नम्बर 622 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा,किस्म गैर मुमकिन ओरण में से तहसीलदार भीनमाल द्वारा दिनांक 28.12.73 को सनद सं.111/28.12.73 से 9 बिस्वा भूमि नियमन की गई जिसका नामान्तरकरण सं. 623 भरा जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। माननीय राज. उच्च न्यायालय के डी.बी.सिविल जनहित याचिका सं. 1837/2014, अनवान–गुमानमल बनाम जेठाराम, कौम माली, निवासी बडगांव,वगैराह बनाम राजस्थान सरकार में निर्णय दिनांक 28.3.2014 की पालना में श्रीमान् जिला कलेक्टर जालोर द्वारा विविध प्रकरण सं. 1/2014 में पारित निर्णय दिनांक 6.5.2014 के जरिये तहसीलदार रानीवाडा को उक्त विवेचित भूमि के सबंध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत् रेफरेन्स पेश करने के निर्देश दिये गये। गैर मुमकिन ओरण भूमि देवी देवताओं के नाम से दर्ज होती है। ओरण भूमि सार्वजनिक राजकीय भूमि है जो सामान्यत: पशुओं की चराई के काम आती है एवं

सार्वजनिक उपयोग हेतु है। पुराना खसरा नम्बर 622 जो गैर मुमकिन ओरण अवस्थित था जिसमें से अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 622 मीन रकबा 9 बिस्वा आराजी का नियमन गलत व अवैध हुआ है तथा उक्त खसरा नम्बर 622 मीन रकबा 9 बिस्वा से नवीन खसरा नम्बर 790 रकबा 0.08 हेक्टर का सर्जन किया गया है जो अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है जिसे पुनः गैर मुमकिन ओरण राजकीय सरकार में दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः जिसको पुनः गैर मुमकिन ओरण में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थी सं.1 के कायम मुकाम की ओर से उनके वकील ने दिनांक 28.6.18 जवाब पेश किया कि यह रेफरेन्स प्रार्थनापत्र मृत हंसराज के विरूद्ध पेश किया गया है जो गलत है तथा बिना मृत्यु दिनांक प्रमाणित किये हंसराज के वारिशानों को गलत पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किये हे तथा माफिक कानून आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नही होत है क्योंकि रेफरेन्स प्रार्थनापत्र पेश करने से पूर्व ही हंसराज की मृत्यु हो चुकी थी । इस प्रकरण में आदेश 1 नियम 10सी.पी.सी. का प्रार्थनापत्र पेश नही किया गया है तथा बिना किसी कानूनी प्रक्रिया अपनाये हंसराज के वारिशानों को बिना सुनवाई का अवसर दिये नोटिस जारी किये है तथा यह रेफरेन्स प्रकरण हंसराज के वारिशानों के विरूद्ध मेन्टेनेबल नही है। अतः हंसराज के वारिशानों के विरूद्ध रेफरेन्स प्रार्थनापत्र मेन्टेनेबल नही होने से खारिज करावे।

3. अप्रार्थीगण की ओर से उनके वकील ने दिनांक 28.6.18 को जवाब पेश किया कि मौजा बडगांव में स्थित पुराने खसरा नम्बर 622 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा जरूर है लेकिन उक्त खसरा नम्बर गैर मुमकिन ओरण नही है बल्कि आबादी भूमि है तथा राजस्व रेकर्ड में जमाबंदी संवत् 2025 से 2028 में उक्त खसरा नम्बर गैर मुमकिन ओरण गलत दर्ज है। तहसीलदार ने खसरा नम्बर 622 में से 910 वर्गगज भूमि की सनद कालूजी के नाम से जारी होना बताया। इस प्रकरण में बताया जा रहा भू भाग जागीरदार की चक्की व आगे पीछे की भूमि व मकानात् ग्राम बडगांव के जागीरदार की निजी सम्पति मानी गयी। उस जमीन पर ही अप्रार्थी जवाब देहन्दा, कालूजी के समय से काबिज है जिसकी ताईद में पूर्व में चली कार्यवाहियों में सरकार बनाम मंगलसिंह,निर्णय दिनांक 13.7.1977 में मंगलसिंह के विरूद्ध कार्यवाही की गयी थी तथा चक्की के आगे व पीछे की जमीन जागीरदार की नीजि सम्पति होने से कार्यवाही पूर्व जागीरदार मंगलसिंह के विरूद्ध निरस्त की गयी व खसरा नम्बर 622 को मौके पर गैर मुमकिन आबादी होना भी पाया जिससे भी स्पष्ट हैं कि खसरा नम्बर 622 गैर मुमकिन ओरण नही है बल्कि आबादी भूमि है।

आबादी भूमि होने से ही अप्रार्थी जवाब देहन्दा की पुरानी इमारत है तथा वर्ष 1970 के पूर्व कालुजी का कब्जा होना भी सरकारी मुलाजिमों ने मंजुर किया है जिसकी पटवारी रिपार्ट व उपखण्ड अधिकारी भीनमाल की रिपोर्ट जवाब के साथ पेश है। पुराने खसरा नम्बर 622 से नये खसरा नम्बर 790 बनना प्रार्थी प्रमाणित करे,लेकिन नवीन खसरा नम्बर 90 भी गैर मुमकिन आरण मौके पर कभी नही रहा तथा राजस्व रेकर्ड में नवीन खसरा नम्बर 790को गैर मुमकिन ओरण का इन्द्राज अपने आप में गलत है। प्रार्थी ने कालुजी के नाम पुराने खसरा नम्बर 622 में से 910 वर्गगज जमीन की सनद जारी की गयी है लेकिन सनद कहां से जारी हुई, इस पद में प्रार्थी ने स्पष्ट कथन नही किया है।यहां यह लिखना उचित हैं कि कालुजी का वर्ष 1970 के पूर्व का कब्जा होने से तहसील कार्यालय भीनमाल के द्वारा जवाब देहन्दा के पिता को नोटिस देकर प्रिमियम राशि जमा करवाने हेतु कहा जिस पर जवाब देहन्दा ने प्रिमियम राशि जमा करवा दीं ,हालांकि जवाब देहन्दा के पिता का जहां कब्जा है वह भूमि चक्की वाला भाग है जो जागीरदार की निजी है जिसकी सनद जारी करना आवश्यक नही है लेकिन जवाब देहन्दा के पिता की अनपढता,सरकारी नोटिस का डर आदि को देखते हुए उन्होने सनद के लिए प्रिमियम राशि जमा करवायी और तहसीलदार के द्वारा नियमानुसार परिपत्रों के अधिन दिनांक 28.12.73 को सनद जारी की गयी ,जबकि जागीर कमिश्नर के द्वारा दिनांक 19.1.63 को चक्की व आगे पीछे की जमीन को जागीरदार की निजी सम्पति होना माना जा चुका था जिसमें राजस्थान सरकार पक्षकार है जिससे उक्त निर्णय की जानकारी राज. सरकार के अधिकारी को होना माना जायेगा। यह रेफरेन्स 44 साल बाद प्रस्तुत किया है तथा सनद स्वयं तहसीलदार के द्वारा जारी की गयी है,उसी सनद को लेकर तहसीलदार के द्वारा रेफरेन्स पेश करने से एस्टोप्ल के सिद्धान्त के आधार पर तहसीलदार एस्टोप्ड है तथा कालुजी के विरूद्ध पूर्व में वर्ष 1973 में धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की कार्यवाही भी चली थी जिसे ड्रोप किया गया और नाजायज कब्जा नही माना गया तथा कालुजी वाला भू भाग आबादी भूमि होने से ग्राम पंचायत बडगांव ने नियमानुसार कार्यवाही कर कालुजी के हक में पट्टा भी जारी किया है जिससे यह भी स्पष्ट हैं कि उक्त भूमि गैर मुमकिन ओरण या सरकारी भूमि नही है। जहां टाईटल का बिन्दु विवादित है वहां जांच आवश्यक है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र निरस्त करावे।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई , प्रार्थी की ओर से विद्वान सरकारी अभिभाषक ने बहस में बताया कि मौजा बडगांव के पुराने खसरा नम्बर 622 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा की भूमि राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन ओरण दर्ज थी जिसमें से एक खसरा नम्बर 790 रकबा 0.08 हेक्टर भूमि गैर मुमकिन मकान दर्ज कर खातेदार हंसराज,चूनाराम पुत्र कालुजी ,जांगिड ब्राह्मण दर्ज कर दिया जिसको

पुनः गैर मुमकिन ओरण दर्ज किये जाने का आदेश करावे। इसके विपरीत अप्रार्थीगण के वकील ने अपने जवाब प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि यह रेफरेन्स मृत हंसराज के विरूद्ध पेश किया गया है। पुराने खसरा नम्बर 622 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा की भूमि गैर मुमकिन ओरण नही होकर आबादी भूमि है, गैर मुमकिन ओरण गलत दर्ज है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र खारिज करावे।

5. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौजा बडगांव के नामान्तरकरण सं. 623के अवलोकन से उक्त खसरा नम्बर 622 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा गैर मुमकिन ओरण ही अंकित है जिसमें से 9 बिस्वा भूमि का कालु पुत्र केवा कौम सुथार निवासी बडगांव के पक्ष में तहसीलदार भीनमाल द्वारा नियमन किया गया है। गत खसरा नम्बर 622 की भूमि की किस्म गैर मुमकिन ओरण है।वर्तमान में मौजा बडगांव जमाबंदी संवत् 2070—71में खसरा नम्बर 790 की भूमि गैर मुमकिन मकान दर्ज की गयी है जो गैर मुमकिन ओरण से किस्म परिवर्तन कर गैर मुमकिन मकान दर्ज की है जो गलत है। श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय जालोर के विविध प्रकरण सं. 1/2014 गुमानमल वगैराह बनाम सूरतसिंह वगैराह ,निर्णय दिनांक 6.5.2014में गत खसरा नम्बर 622 गैर मुमकिन ओरण के खसरा नम्बर 789,790,791,782,783,779,746 747 बने है तथा तहसीलदार रानीवाडा को ओरण भूमि के सबंध में राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत् नियमानुसार रेफरेन्स पेश करने के निर्देश दिये है तथा यह भी निर्देश दिये हैं कि परीक्षणोपरान्त सभी कब्जाधारियों पर नियमानुसार एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य SLP(c)No.3109/2011 में पारित निर्णय दिनांक 28.1.2011 में सार्वजनिक सम्पतियों के संरक्षण हेतु पारित आदेश के परिपेक्ष्य में समुचित विधि सम्मत कार्यवाही करे। जिसकी पालना में यह तहसीलदार रानीवाडा द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थनापत्र पेश किया है। चूंकि गत खसरा नम्बर 622 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा की भूमि गैर मुमकिन ओरण है जो धारा 16 के तहत् प्रतिबंधित भूमि है जिसका नियमन नही किया जा सकता है। अतःअप्रार्थीगण के पिता कालु को गैर मुमकिन ओरण में किया गया नियमन नियमों के विपरीत होने से नियमन आदेश व इसके आधार पर तहसीलदार भीनमाल/रानीवाडा द्वारा स्वीकत किये गये नामान्तरकरण सं.623 दिनांक27.4.75 व अब तक किये गये सभी राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज को निरस्त करने हेतु रेफरेन्स करना आवश्यक है।

6. अतः प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर को रेफरेन्स कर निवेदन हैं कि ग्राम बडगांव तहसील वर्तमान में रानीवाडा के गत खसरा नम्बर 622 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा,किस्म गैर मुमकिन ओरण है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर खसरा नम्बर 789,790,791,782,783,779,746 747 बने है,नवीन खसरा नम्बर 790 रकबा 0.08 हेक्टर अप्रार्थीगण के पिता के कालु के हक में दिनांक 21.12.73

को किया गया नियमन व बाद से अब तक किये गये सभी राजस्व रेकर्ड के इन्द्राज (ना.कं.सं. 623 आदि)को निरस्त कर उक्त भूमि पूर्वानुसार गैर मुमकिन ओरण दर्ज करने के आदेश प्रदान करावे।

S.d.
(संजयकुमार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 11.9.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

S.d.
(संजयकुमार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर